<u>रायबरेली विकास प्राधिकरण, रायबरेली</u>

<u>पंजीकरण सूचना</u>

रायबरेली विकास प्राधिकरण, रायबरेली द्वारा लखनऊ-प्रयागराज मार्ग पर रतापुर चौराहे के निकट **एकता विहार आवासीय योजना** के अन्तर्गत निम्नलिखित तालिका में अंकित श्रेणी के भवनों का पंजीकरण दिनांक 2[illegible].02.2023 से 2[illegible].03.2023 तक की अवधि हेतु खोला जा रहा है। इन भवनों के पंजीकरण हेतु पंजीकरण पुस्तिका रू0 500.00 के मूल्य में एच0डी0एफ0सी0 बैंक कचेहरी रोड, रायबरेली से प्राप्त की जा सकती है। प्रस्तावित भवनों के मूल्य आदि का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

क्रमांक	निर्माण का विवरण	तल का विवरण	भवनों की संख्या	भवन का निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	भवन का मूल्य	10 प्रतिशत पंजीकरण धनराशि	आय सीमा
1	2		3	4	5	6	7
1.	निर्बल आय वर्गीय भवन (एक कमरा, एक किचेन, एक ट्वायलेट, बरामदा/बालकनी)	भूतल	5	27.50	7,65,000.00	76500.00	3,00,000 तक वार्षिक
		प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तल	39	27.50	6,78,000.00	67800.00	3,00,000 तक वार्षिक
2.	अल्प आय वर्गीय भवन (एक ड्राइंग रूम, एक बेड रूम, एक किचेन, एक डब्लू0सी0 एक बाथरूम बरामदा/ बालकनी)	भूतल	04	38.60	13,41,000.00	1,34,100.00	3,00,001 से रू0 6,00,000.00 वार्षिक
		प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तल	05	38.60	11,85,000.00	1,18,500.00	3,00,001 से रू0 6,00,000.00 वार्षिक
3.	अल्प आय वर्गीय भवन (एक ड्राइंग रूम, एक बेड रूम, एक किचेन, एक डब्लू0सी0 एक बाथरूम बरामदा/ बालकनी)	प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तल	07	46.00	14,12,000.00	1,41,200.00	3,00,001 से रू0 6,00,000.00 वार्षिक

<u>पंजीकरण की शर्ते एवं दशायें :–</u>

1. पंजीकरण तथा आवंटन नियमावली में पंजीकरण हेतु जमा धनराशि का चालान/आवेदन प्रपत्र संलग्न है। पंजीकरण धनराशि का भुगतान एच0डी0एफ0डी0सी0 बैंक, कचेहरी रोड, रायबरेली के माध्यम से करना होगा।
2. भवनों का आवंटन लाटरी द्वारा किया जायेगा।
3. योजना से सम्बन्धित तलपट मानचित्र, आवासीय भवनों का प्लान पंजीकरण/आवंटन नियमावली के साथ संलग्न है।
4. आवेदक को पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र जमा धनराशि की रसीद, सत्यापित फोटो, आई0डी0 आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र सहित निर्धारित तिथि तक प्राधिकरण कार्यालय में जमा करना होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किये जायेगें।
5. प्राधिकरण की किसी भी योजना के असफल आवेदक यदि इच्छुक है तो अपनी जमा धनराशि के अतिरिक्त शेष धनराशि जमा करके एवं अन्य औपचारिकतायें पूर्ण कर अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते है।
6. आय प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र शपथ पत्र के रूप में नहीं माना जायेगा। सक्षम स्तर से ही मान्य होगा।
7. न्यायिक अधिकार क्षेत्र रायबरेली होगा।
8. अन्य विवरण पंजीकरण पुस्तिका में उपलब्ध है।
9. पंजीकरण का विवरण प्राधिकरण के वेबसाइट www.rdaup.in पर उपलब्ध है एवं आन लाइन भी पंजीकरण कराया जा सकता है।

(एम0 अहमद)
सम्पत्ति अधिकारी

(पल्लवी मिश्रा)
सचिव

(माला श्रीवास्तव)
उपाध्यक्ष / जिलाधिकारी

E:\Local Disk\Roshan\ROSHAN LAL PROPERTY ALOTTMENT REPORT & NOTIC FROM BEENA\ALOTTMENT REPORT.doc

Scanned with OKEN Scanner